<u>नैगम अभिशासन-कोर प्रबंधन टीम तथा बोर्ड के निदेशकों हेतु आचार संहिता</u>

यह ' नैगम अभिशासन-कोर प्रबंधन टीम तथा बोर्ड के निदेशकों हेतु आचार संहिता' आगे से 'आचार संहिता'के नाम से जाना जाएगा।

(क) इस संहिता को नैगम अभिशासन के अनुपालन के हिस्से के रूप में सूचीबद्ध करार के खंड 49 के संशोधन के अनुसार बनाया गया है।

2 (ख) **इस आचरण की अपेक्षाऐं तथा उद्देश्य**

सूचीबद्ध करार का खंड 49,जो शेयर बाजारों के साथ निविष्ट है, नैगम अभिशासन से यह अपेक्षा रखता है कि सूचीबद्ध इकाईयाँ,अपने वरिष्ठ कार्मिकों तथा इकाई के बोर्ड के निदेशकों के लिए आचार संहिता बनाऐं।वरिष्ठ प्रबंधन को सूचित किया गया है कि बोर्ड के निदेशकों के अलावा,कार्यकारी प्रमुख एवं कार्मिक, जो कोर प्रबंधन के सदस्य हैं, को सम्मिलित करें।
बैंक ने, यथानुसार,अपने बोर्ड के निदेशकों तथा उनके कोर प्रबंध के लिए संहिता बनाया है:
2 (ग) **यह आचार संहिता 1दिसंबर 2005 से लागू होगा**

<u>3) **परिभाषाएं**</u>
इस आचार संहिता हेतु
क) ' बोर्ड के निदेशक 'से तात्पर्य है बैंक के ' बोर्ड के निदेशक
कोर प्रबंधन से तात्पर्य है कार्यपालक निदेशक से एक स्तर कम यानि :बैंक के सभी महा प्रबंधकगण'।

<u>4) **बैंक की विचार प्रणाली/विश्वास तंत्र**</u>
यह आचार संहिता ऐसे मार्गदर्शी सिद्वांतों को बनाने को प्रयास करता है जिससे बैंक अपने शेयरधारकों,सरकार तथा विनिमय ऐजेसियों,मीडिया,के साथ वह, अपना दैनिक कारोबार तथा परिचालन कर सकता है।यह मान्य है कि बैंक जनता की मुद्रा का न्यासी एवं अभिरक्षक है तथा अपनी प्रत्यायी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जनता के विश्वसा को बनाए रखना है।

बैंक हर संचालन को ईमानदारी से करने की आवश्यकता से वाकिफ है तथा यह मान के चलता है कि उसकी सच्चाई, ईमानदारी तथा आंतरिक आचरण उसके बाह्य बर्ताव से आंका जाएगा।बैंक,जिन देशों में परिचालन करता है उनकी हित के लिए कार्य हेतु प्रतिबद्ध है।बैंक को अपने ग्राहकों और जनता में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अपनें दायित्व का निर्वहन करना है।बैंक ग्राहक केंद्रित नीतियों को जारी रखेगा।

5) **<u>संहिता की दार्शनिकता:</u>**

इस संहिता की अपेक्षाऐं

क. सच्चाई और नैतिक आचरण के उच्चतम स्तरों का पालन,जिसमें व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक संबंधों के बीच होने वाले वास्तविक द्वंद्व का सही और नैतिक रूप से सामना करना।

ख. बैंक द्वारा सरकार एवं विनियमन ऐजेंसियों को प्रस्तुत की जाने वाली आवधिक रिपोर्टें,पूर्ण,सही,यर्थाथ,सामयिक हों।

ग. कानून,नियम तथा विनियम जो लागू होते हैं उनका अनुपालन

घ. बैंक की आस्तियों तथा संसाधन के दुरूपयोग का निवारण।

ङ. बैंक के अंदर तथा बाहर किसी भी मामले को सुलझाने हेतु उच्चतम गोपनीयता का निर्वाह करना।

<u>अ).आचरण के साधारण मानक</u>

बैंक अपने सभी निदेशकों एवं कोर प्रबंधन के सदस्यों से अपेक्षा करता है कि वे ग्राहकों,कर्मचारियों तथा अन्य शेयरधारकों के हित,सुरक्षा तथा कल्याण का सुनिश्चयन करें तथा कुशल, सकारात्मक,समंजन, निर्माणात्मक कार्य वातावरण और कारोबारी संगठन को बनाए रखें। निदेशकों एवं कोर प्रबंधन के सदस्यों को कर्तव्य को इमानदारी एवं कर्मनिष्ठा से निर्वाह करना चाहिए। उनसे भी वही उम्मीद की जाती है कि वे भी साधारण इन्सान की तरह अपने कार्य को सावधानी एवं समझदारी से करें।।इन मानकों को,बैंक के परिसर में,भारत या विदेश में जहाँ बैंक का कार्य चल रहा हो,बैंक द्वारा प्रायोजित व्यापार एवं सामाजिक स्थानों में,या किसी ऐसी जगह जहाँ बैंक के प्रतिनिधि के रूप में जाना हो,लागू किया जाए।

<u>आ).हित का द्वंद्व</u>

जब बोर्ड का कोई निदेशक एवं कोर प्रबंधन का कोई सदस्य बैंक हित में किसी भी तरह दखलअंदाज करना चाहता है तो हित में द्वंद्व होता है। बोर्ड के निदेशकों एवं कोर प्रबंधन के हर सदस्य का बैंक,शेयरधारकों तथा एक दूसरे हेतु दायित्व होता है।हालांकि,यह कर्तव्य उनके व्यक्तिगत संचालन और निवेशों में बाध्य नहीं होगा,फिर भी,यह उम्मीद की जाती है कि अगर हित में कहीं भी द्वंद्व की संभावना नज़र आती है तो उससे बचकर रहें।उनसे यह अपेक्षा है कि वे अपने कर्तव्य का निर्वाह इस तरह करें कि यह बैंक के हित में बाध्य न हो जैसे:

रोज़गार/बाहरी रोज़गारी –

कोर प्रबंधन के सदस्यों से अपेक्षा है कि वे अपना पूरा ध्यान बैंक के हित के लिए लगाऐं।उन्हें ऐसे कोई भी कार्य करने की मनाही है जो उनके निष्पादन या दायित्व में बाधक हो या बैंक के लिए हानिकारक हो।

काराबार में अभिरूचि-

अगर बोर्ड के निदेशक एवं कोर प्रबंधन का कोई सदस्य,बैंक के ग्राहक,आपूर्तिकार या प्रतिभागी द्वारा जारी किसी प्रतिभूति बंधकपत्र में निवेश हेतु विचार करते हैं,तो उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि यह बैंक के दायित्वों के लिए बाधा न बने। कई ऐसे तत्व हैं जैसे,निवेश का प्रकार, और प्रमात्रा,बैंक के निर्णयों पर प्रभाव डालने की क्षमता,बैंक या अन्य इकाई की गोपनीय सूचना तक उनकी पहुँच,बैंक और

ग्राहक,आपूर्तिकार या प्रतिभागी के बीच के संबंधें आदि पर विचार करना होता है जो इसके प्रतिकूल होते हैं।इसके अतिरिक्त,उनको अपने ऐसे विचारों को भी बताना चाहिए जो बैंक के हित के प्रतिकूल हो।

संबंधित पार्टी-

सामान्यत:,निदेशको एवं कोर प्रबंधन के किसी भी सदस्य को, किसी व्सक्ति, कंपनी,फर्म, या रिश्तेदार जिसका प्रमुख पात्र हो के साथ ,बैंक के कारोबार को चलाने से बचना चाहिए। रिश्तेदार हैं :

जीवन साथी

पिता

माता (सौतेली माँ)

बेटा (सौतेला बेटा)

पुत्र वधू

बेटी (सौतेली बेटी)

दादा

दादी

नाना

नानी

पोता

पोती

पोती के पति

दामाद

नातू

नातू की पत्नी

नातिन

नातिन के पति

भाई (सौतेला भाई)

भाभी

बहन(सौतेली बहन)

बहनोई

-अगर ऐसे रिश्तेदारों के साथ संचालन से बच नहीं सकते तो उन्हें उचित प्राधिकारी को रिश्तेदारों के साथ किए जानेवाले संचालन के पूरे ब्यौरों को बताना चाहिए। किसी भी संबद्ध पार्टी के साथ किए जाने वाले व्यापार को इस तरह करें कि किसी पार्टी को भी अधिक मान्य न दिया जाए।

- किसी अन्य स्थिति या संचालन में अगर हितों में संघर्ष की संभावना है तो उचित प्राधिकारी को चर्चा के बाद निर्णय लेना होगा।

इ.लागू कानून

बैंक के निदेशकों एवं कोर प्रबंधन को लागू होने वाले कानून, नियम ,विनियम और विनियमन आदेशों का पालन करना चाहिए।अगर अननुपालन की सूचना या रिपोर्ट मिलती है तो इसकी सूचना सक्षम प्राधिकारी को देनी चाहिए।

ई .प्रकटीकरण के मानक

बैंक द्वारा सरकार एवं विनियमन ऐजेंसियों को प्रस्तुत की जाने वाली आवधिक रिपोर्टें,पूर्ण,सही,यर्थाथ,सामयिक हों। बैंक के कोर प्रबंधन के सदस्यों को,निर्धारित कानून,नियम तथा नियमावली के अनुसार,बोर्ड के निदेशकों,लेखा परीक्षकों तथा अन्य सांविधिक ऐजेंसियों को संबद्घ सूचना के सही विकीर्णता ,प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।

उ .बैंक की आस्तियों एवं प्रसंसाधनों का उपयोग

बोर्ड के निदेशकों तथा कोर प्रबंधन के हर सदस्य को बैंक की आस्तियों एवं प्रसंसाधनों के लेन-देन में युक्तियुक्त,सही वैध रूचि लेनी चाहिए। बोर्ड के निदेशकों तथा कोर प्रबंधन के सदस्यों को निम्नलिखित से मनाही है :

वैयक्तिक लाभ के लिए नैगम संपत्ति,सूचना या पद का प्रयोग करना

बैंक के आस्तियों एवं प्रसंसाधनों के लेन-देन से संबंधित किसी भी व्यक्ति से मूल्यवान वस्तु स्वीकारना,,या मांगना या मानना।

बैंक की ओर से उनके या उनके किसी रिश्तेदार(रों)का कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष लेन-देन में रुचि रखना।

ऊ.गोपनीयता और उचित व्यवहार

1) बैंक की गोपनीय सूचना

बैंक की गोपनीय सूचना एक मूल्यवान आस्ति है।इसमें व्यापार से संबंधित सूचना,व्यापार के रहस्य,गोपनीय एवं प्रतिष्ठित सूचनाऐं,ग्राहक सूचना,कर्मचारी से संबंधित सूचना,रणनीतियाँ,प्रशासन शामिल है। बैंक से संबंधित अनुसंधान तथा बोर्ड के निदेशकों तथा कोर प्रबंधन के हर सदस्य को,बैंक में उनकी हैसियत के कारण उनके कार्य को आसान करने हेतु, बैंक द्वारा,वाणिज्क,वैधानिक,वैज्ञानिक,तकनीकी आंकडों को या तो कागज़ या इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध कराना। सभी गोपनीय सूचनाओं को बैंक के कारोबार के लिए प्रयुक्त किया जाए।

इस दायित्व में बैंक के अभिलेखों के रखरखाव के अनुसार,गोपनीय सूचना की सुरक्षा तथा उसका सही न्पिटान भी शामिल है।यह दायित्व तृतीय पक्षकार की गोपनीय सूचना पर भीलागू है ,जिसे बैंक ने गैर-प्रकटीकरण करार के तहत विधिवत प्राप्त किया है।

बैंक के कारोबार को आगे ले जाने के लिए, गोपनीय सूचना को कारोबार के संभाव्य साझेदारों को प्रकट करना होता है।ऐसे प्रकटीकरणों को उनके संभाव्य हित और जोखिम पर विचार करने के बाद करना चाहिए।इस बात पर ध्यान दिया जाए कि बैंक के साथ कारोबार के संभाव्य साझेदार द्वारा गोपनीय करार पर हस्ताक्षर करने के बाद ही, मांगी गई अति सूक्ष्म सूचना दी जाए।

कोई भी प्रकाशन या खुले आम की गई कथन, जिसे बैंक के कथन के जैसे आरोपित,माना या अनुमानित किया जाता है, जो बैंक में सही प्राधिकारी के दायरे से बाहर हो,इसमें एक प्रत्याख्यान जोड देना चाहिए कि कथन या प्रकाशन उस विशेष लेखक के विचार हैं न कि बैंक के।

2) अन्य गोपनीय सूचना -

बैंक का कई कंपनियों और व्यक्तियों के साथ कई तरह के कारोबारी संबंध होते हैं।कभी कभी तो,वे बैंक के साथ व्यापार में संबंध स्थापित करने के लिए अपने कारोबार की योजनाऐं या उत्पादों की गोपनीय सूचना देते हैं।अन्य समय में,बैंक तृतीय पक्षकार से कभी कभी यह भी अनुरोध करता है कि वे उसे गोपनीय सूचना उपलब्ध कराऐं ताकि बैंक उस पार्टी के साथ संभाव्य व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए उसे आंक सकता है।

बैंक चाहता है कि हर निदेशक और कोर प्रबंधन का सदस्य,महा प्रबंधकगण,उन नियमों,विनियमों,कानून से पूरी तरह वाकिफ हो, जिसका उद्देश्य, अवैधानिक रूप से लाभ कमाने का निवारण करना है।

निदेशकों एवं कोर प्रबंधन के सदस्यों को चाहिए कि वे ग्राहकों,आपूर्तिकारों, शेयरधारकों आदि से पैसे ,उपहार,या मूल्यवान वस्तु को, जो भुगतान अदा करने की प्रतिज्ञा या अदा करने का प्राधिकरण करता हो,नहीं स्वीकारना चाहिए क्योंकि इससे यह न मान लिया जाए कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप,किसी व्यापार के निर्णय को,या जालसाजी के किसी कमीशन को या जालसाजी के अवसर को प्रभावित किया जा रहा हो।

6) अच्छे नैगम अभिशासन की प्रथा

बोर्ड के निदेशकों एवं कोर प्रबंधन के हर सदस्य को बैंक के निम्नलिखित का अनुपालन करना चाहिए ताकि वे अच्छे नैगम अभिशासन की प्रथा का पालन कर सकते हैं :

क) करें

बोर्ड की बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित होवें तथा चर्चा में सहभागिता करें।

बोर्ड के कागजपत्रों का पूर्ण रूप से अध्ययन करें तथा नियत समय सारनी के अनुसार अनुवर्ती रिपोर्ट की पूछ ताछ करें।

सामान्य नीतियों के सूत्रीकरण के मामले में सक्रीय भाग लें।

बैंक के उद्देश्यों,सरकार की नीतियों,तथा विभिन्न कानून और उनके विधानों से वाकिफ रहें।

बैंक की कार्यसूची,नोट तथा कार्यवृत की गोपनीयता को सुनिश्चित करें।

ख) न करें

बैंक की दैनंदिक कार्यकलापों में दखलअंदाज न करें।

बैंक के किसी भी घटक से संबंधित सूचना को किसी को न बताऐं।

पूर्ण कालिक निदेशकों-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक के अलावा,अपने व्यक्तिगत विजिटिंग कार्ड/पत्र शीर्ष पर बैंक के लोगो/सुभिन्न डिजाइनको प्रदर्शित न करें।

बैंक के परिसर हेतु बिल्डिंग या साइट,ठेकेदारों को पैनल में लाना,, या वास्तुविद,डॉक्टर,वकील,या अन्य व्यवसाय आदि को भर्ती करना या ऋण से संबंधित प्रस्तावों तथा पुस्तकों,साहित्यों,आदि की खरीदी को प्रायोजित न करें।

7) क) बोर्ड के सभी सदस्य तथा महा प्रबंधकगण,सेबी के संशोधित मार्गदशनों में निर्धारितानुसार,वार्षिक आधार पर आचार की पुष्टि करेंगें।

ख) बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्तक्षरित यह घोषणा होगी।

ग) जब कभी बोर्ड के निदेशकों/कोर प्रबंधकों की टीम में कोई परिवर्तन होता है तो उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन का अनुप्रवर्तन कंपनी सचिव द्वार किया जाएगा।

8) **छूट**

इस आचार संहिता के किसी भी प्रावधान में बैंक के बोर्ड के निदेशक या कोर प्रबंधन के सदस्य हेतु छूट के लिए बैंक के बोर्ड के निदेशकों द्वारा लिखित रूप से अनुमोदन ज़रूरी है।

इस आचार संहिता में बताए गए सभी मामले बैंक तथा बैंक के शेयरधारकों ,कारोबार में साझेदारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तथा बैंक की अपनी नैतिक प्रथा के अनुसार कारोबार करने के लिए आवश्यक है।

मैंने बैंक की आचार संहिता का अवलोकन किया है और इसका पालन करूँगा/गी

नाम:

हस्ताक्षर
स्थान तथा दिनांक